राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1368 / 2025

रविन्द्र कुमार मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव—I, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्थान जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड बाड़ी, बसेड़ी, जिला धौलपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपखण्ड, कामां, भरतपुर में रिक्त पद पर 190 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी को उपखण्ड—I, सांचोर, देवड़ा में पदस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक—4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखण्ड—I, सांचोर, देवड़ा, जालौर से परियोजना उपखण्ड, मोहनगढ़, जैसलमेर में स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण परियोजना उपखण्ड, मोहनगढ़ जैसलमेर से उपखण्ड, बाड़ी, धौलपुर में किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का परीवीक्षाकाल में 04 बार स्थानान्तरण किया जा चुका है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण करने के लिए किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। राजस्थान स्थानान्तरण नीतियों के अन्तर्गत परीवीक्षाकाल में एवं 02 वर्ष पूर्व से पूर्व किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा। उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को यथावत वर्तमान कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड बाड़ी, बसेड़ी, जिला धौलपुर में रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड बाड़ी, बसेड़ी, जिला धौलपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.12.2022 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की परीवीक्षाकाल अवधि दिनांक 08.12.2024 पूर्ण हो गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपखण्ड, कामां, भरतपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को किसी एक स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को लाभ प्रदान करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य